



Nº 005108

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21. 1860)

संख्या ९२७.

वर्ष २००४-२००९.

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि

॥ विद्या विकास समिति झारखण्ड ॥

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख ६१ मास ५१११ वर्ष दो हजार ११ को राँची में मेरे हस्ताक्षर के

साथ दिया गया ।

टिपट -

विभाजित प्रदेश में निबन्धित संस्था का नाम = विद्या विकास समिति झारखण्ड
विभाजित बिहार का निबन्धन संख्या = 1082/994-05

गोवर्नमेन्ट प्रेस, राँची ।



वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, झारखण्ड, राँची ।